राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड़ अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विवेक व्यास, (R.A.S.)
राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 3/2022
दायरा तारीख :– 8/2/2022
निर्णय दिनांक :–

वादी :–

1. पुनाराम पुत्र कसनाजी गोद पुत्र सरूपजी आयु 87 वर्ष जाति बावरी, निवासी करणवा, तहसील–देसूरी जिला–पाली।

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला–पाली(राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री हुकुम सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी संख्या 1 की ओर से।
2. पैरोकार सरकार (तहसीलदार देसूरी) एक पक्षीय।

निर्णय दिनांकः–5/6/2024.

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सरहद गांव करणवा पटवार हल्का कोटडी तहसील देसूरी जिला–पाली (राज.) में स्थित आराजी जिसके नये खसरा नम्बर 52 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपये 11.06 की आराजी सरूप पुत्र मोडा जाति बावरी निवासी करणवा की खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा विद्यमान थी। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी खतौनी संवत 2073–2076 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। सरूप पुत्र मोडा की मृत्यु लाऔलाद दिनांक 02.07.1989 को हुई। सरूप की मृत्यु से पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। एवं सरूप के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रियां नहीं थी। सरूप पुत्र मोडा की सेवा चाकरी एकमात्र वादी पुनाराम ने की थी। सरूप पुत्र मोडा ने अपने जीवनकाल के दौरान सामाजिक रस्म के अनुसार वादी पुनाराम को गोद लिया था। वादी पुनाराम ने एक पुत्र की हैसियत से सरूप पुत्र मोडा की सेवा चाकरी की गई एवं सरूप पुत्र मोडा ने अपने जीवनकाल के दौरान वादी

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पुनाराम की सेवा चाकरी से पसन्द होकर सरूप ने अपने जीवनकाल के दौरान दिनांक 25.05.1989 को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 52 रकबा 1.58 हैक्टर जमीन, की वसीयत वादी के हक में लिखी गई। जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है। एवं विवादग्रस्त आराजी पर मृतक सरूप के जीवनकाल के दौरान सरूप का कब्जा रहा एवं सरूप की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त एक मात्र वादी पुनाराम का ही बहैसियत मालिक के चला आ रहा है।

वसीयत को कोपी सरूप की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का को दी गई व वादी द्वारा पटवारियों के पास काफी चक्कर लगाये परन्तु आज कल बताकर प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी टालमटोली करते रहे व वादी द्वारा दिनांक 22.11.2021 को प्रतिवादी को आवेदन करने के बावजूद भी वादी का नाम मृतक सरूप पुत्र मोडा की जगह इन्द्राज नहीं किया गया है। जिससे वादी विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अतः वादी की ओर से यह वाद विवादग्रस्त आराजियात में मृतक सरूप पुत्र मोडा की जगह वादी पुनाराम के नाम की खातेदारी की घोषणा हेतु उक्त वाद हस्ब धारा 88,89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रहा है। विवादग्रस्त आराजीयात में वादी द्वारा अपना नाम इन्द्राज करवाने हेतु पटवारी हल्का कोटडी को वसीयतनामा दिया गया परन्तु आज कल बताकर टालमटोली करते रहे व आखिर में दिनांक 22.11.2021 को प्रतिवादी को भी आवेदन किया गया गया उसके बावजुद भी वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया व प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने वादी को जमीन खालसा करने की ऐलानियां धमकियां दी जिससे प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना नितान्त आवश्यक है। प्रतिवादी व उसका प्रतिनिधि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। अन्यथा वादी वसीयत में प्राप्त सुदा जमीन से वंचित हो जायेगा व वादी के कानूनी हक व अधिकारों पर कुठाराघात होगा व वादी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा। वादी को अकथनीय क्षति होगी जिससे प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना नितान्त आवश्यक है कि वो वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी, हस्तक्षेप नहीं करे। इस हेतु वादी हस्ब धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह वाद प्रस्तुत कर रहा है।

यह है कि तहसीलदार देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार वाद के आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें प्रतिवादी बनाया गया है एवं विवादगस्त आराजीयात मृतक सरूप द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत करने से एवं मृतक सरूप के जीवनकाल के दौरान

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

उसका कब्जा होने से व सरूप की मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त होने से व वादी द्वारा सरूप की जगह अपना नाम इन्द्राज करवाने का आवेदन दिनांक 22.11. 2021 को देने पर प्रतिवादी द्वारा इन्द्राज न करने से व प्रतिवादी के प्रतिनिधी द्वारा जमीन को खालसा करने की धमकियां दी हैं एवं वाद अर्जेन्ट नेचर का है एवं वाद पत्र वादी की खातेदारी की घोषणा एवं निषेधाज्ञा का है। जिससे नोटिस देने में समय लगेगा व नोटिस देने की म्याद गुजरने तक प्रतिवादी का प्रतिनिधी मौके पर से वादी को बेदखल कर देंगे जिससे वादी के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा व वादी का उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम करणवा के नये खसरा नम्बर 52 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान 11.06 रूपये की आराजी में मृतक सरूप पुत्र मोडा का नाम हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में ज़रिये वसीयत दर्ज किया जावे। एवं वादग्रस्त आराजियात को वादी की खातेदारी की घोषित करावे। एवं वादी के नाम का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करावे। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी, हस्तक्षेप करने पर प्रतिवादी के विरूद्ध जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को वास्ते जबाव दावा हेतु सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी को काफी अवसर दिये गऐ एवं अंतिम अवसर भी दिया गया उसके बावजुद भी जबाव दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जबाव दावा बंद किया गया। तत्पश्चात प्रकरण शहादत वादी में नीयत किया गया। बतौर साक्ष्य वादी पुनाराम pw1 , एवं लच्छाराम pw2 बतौर साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किये जिनके बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल मिसल किये गये। pw1 पुनाराम के बयान अनुसार प्रदर्श रेकर्ड पर लिये गये जिसकी जिरह शून्य है।

वादी ने वाद के समर्थन में EX1 जमाबंदी संवत 2073–2076, EX2 A ग्राम पंचायत कोटडी का दिनांक 27.09.1989 का प्रमाण पत्र की फोटो कोपी, EX3 A वसीयतनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत किये गये।

अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस समायत की गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया की प्रतिवादी का जबाव नहीं आया। तहसीलदार 35(2) में जांच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। वाद में साक्ष्य पेश किये गये है। मृतक

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

सरूप पुत्र मोडा ने अपने जीवनकाल के दौरान वादी के पक्ष में विवादग्रत आराजी की वसीयत की गई। वादी बहैसियत मालिक के विवादग्रस्त आराजी पर काबिज है। जिससे वादी उक्त आराजी की खातेदारी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है चूंकि मृतक सरूप पुत्र मोडा की मृत्यु लाऔलाद दिनांक 02.07.1989 को हुई। सरूप के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रियां नहीं थी। जिससे सरूप पुत्र मोडा की सेवा वादी पुनाराम ने ही की थी। सरूप पुत्र मोडा ने अपने जीवनकाल के दौरान वादी पुनाराम को गोद ले लिया था। पुनाराम ने बतौर पुत्र की हैसियत से सरूप पुत्र मोडा की सेवा चाकरी की गई है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की घोषित करावे।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मृतक सरूप पुत्र मोडाजी ने अपने जीवनकाल में वादी को पुनाराम गोद लिया था। पुनाराम ने पुत्र की हैसियत से सरूप की सेवा चाकरी की गयी। पुनाराम की सेवा चाकरी से खुश होकर सरूप ने अपने जीवनकाल के दौरान दिनांक 25.05.1989 को वादग्रस्त आराजी की वसीयत वादी पुनाराम के हक में लिख दी गई। सरूप पुत्र मोडा की मृत्यु दिनांक 02.07.1989 को होना जाहिर है। मृतक सरूप पुत्र मोडा लाऔलाद फौत होना जाहिर है जिसके कोई पुत्र व पुत्रिया नहीं है। इसकी ताईद सरपंच ग्राम पचायत कोटडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 31 दिनांक 27.09.1989 से प्रतीत होता है कि सरूपराम पुत्र मोडाजी जाति बावरी निवासी करणवा का देहान्त दिनांक 02.07.1989 को ग्राम करणवा में हो गया था। स्व. सरूपराम के कोई जायंदा पुत्र नहीं होने से सामाजिक रीति रिवाज अनुसार पुनाराम को गोद लिया था। स्व. सरूप पुत्र मोडाजी जाति बावरी निवासी करणवा पंचायत कोटडी का तथा उसकी तमाम चल व अचल सम्पति का उत्तराधिकारी एक मात्र उनका गोद लिया पुत्र पुनाराम पुत्र सरूपजी बावरी निवासी करणवा ही है। उक्त आशय का प्रमाण पत्र ग्राम पंचयात कोटडी द्वारा जारी किया जाना जाहिर होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि वादी पुनाराम पुत्र कसनाजी गोद पुत्र सरूपजी जाति बावरी निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के मुताबिक स्व. सरूप पुत्र मोडाजी बावरी निवासी करणवा की समस्त चल व अचल सम्पति का उत्तराधिकारी एकमात्र इनका गोद लिया पुत्र पुनाराम पुत्र सरूपजी ही है। अतः वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम करणवा पटवार हल्का कोटडी तहसील देसूरी स्थित आराजी जिसके नये खसरा नम्बर 52

पेज लगातार 05 पर...

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान रूपये 11.06 की आराजी में मृतक सरूप पुत्र मोडा का नाम हटाया जाकर वादी पुनाराम पुत्र सरूपजी बावरी को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया जावे। एवं वादी के कब्जा सुद आराजी में हस्तक्षेप, दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी को निर्णय की प्रति राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु सत्यापित प्रति भेजी जाकर डिकी पर्चा जारी हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 5/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5/6/2024
सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

वाद में फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास विवेक व्यास, आर ए एस

वादी	**ब ना म**	**प्रतिवादी**
पुनाराम पुत्र कसनाजी गोद पुत्र सरूपजी आयु 87 वर्ष जाति बावरी, निवासी करणवा, तहसील–देसूरी जिला–पाली।		राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार देसूरी, जिला–पाली(राज.)

दावा बाबत 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :–

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादी श्री हुकुमसिंह सोलंकी मुदई सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी में मनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी पुनाराम पुत्र कसनाजी गोद पुत्र सरूपजी जाति बावरी निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के मुताबिक स्व. सरूप पुत्र मोडाजी बावरी निवासी करणवा की समस्त चल व अचल सम्पति का उत्तराधिकारी एकमात्र इनका गोद लिया पुत्र पुनाराम पुत्र सरूपजी ही है। अतः वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम करणवा पटवार हल्का कोटडी तहसील देसूरी स्थित आराजी जिसके नये खसरा नम्बर 52 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान रूपये 11.06 की आराजी में मृतक सरूप पुत्र मोडा का नाम हटाया जाकर वादी पुनाराम पुत्र सरूपजी बावरी को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया जावे एवं वादी के कब्जा सुद आराजी में हस्तक्षेप, दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी को निर्णय की प्रति राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु सत्यापित प्रति भेजी जाकर डिक्री पर्चा जारी हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5 माह 6 सन् 2024 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस गवाहन	/	/	बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक	/	/
फीस कमीश्नर			मिजान		
बाबत इजराय हुक्म नामा					
मिजान					

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner